भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4335
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

4335. श्री मनोज तिवारी :
डॉ. भोला सिंह :
श्रीमती कमलजीत सहरावत :
श्री दामोदर अग्रवाल :
डॉ. राजेश मिश्रा :
श्री जगदम्बिका पाल :
श्री पी. पी. चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(क) क्या सरकार ने विधिक अनुसंधान और अनुवाद में एआई टूल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए उचित उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;
(ख) एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के संबंध में न्यायिक कर्मचारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ;
(ग) सरकार एआई उपयोग के संबंध में डेटा गोपनीयता के बारे में चिंताओं का किस प्रकार समाधान करने की योजना बना रही है ;
(घ) क्या कोई टूल या एप्लिकेशन न्यायालयों की दैनिक कार्यवाही को रिकॉर्ड कर रहा है ; और
(ङ) यदि हां, तो उक्त टूल या एप्लिकेशन का दायरा और प्रभावशीलता क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन, सहज उपयोक्ता अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने तथा "तीव्र प्रणाली" बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसमें रजिस्ट्री के पास फाइलों का न्यूनतम आंकड़ा प्रविष्टि और संवीक्षा होगी। तीव्र प्रणाली सृजित करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इसके सब सेट मशीन अधिगम (एमएल) ऑप्टिकल कैरक्टर रिकगनीशन (ओसीआर), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), आदि जैसी नवीनतम प्रोद्यौगिकियों का ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा रहा है। एआई का प्रयोग अनुवाद, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), स्वचालित फाइलिंग, अभिज्ञ अनुसूचन, मामला सूचना प्रणाली में वृद्धि और चैटबोट के माध्यम से वादकारियों के साथ संवाद करने जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है।

उच्च न्यायालयों की एआई अनुवाद समितियां, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों का जन भाषाओं में अनुवाद से संबंधित संपूर्ण कार्य की मॉनीटरी कर रही हैं। आज की तारीख तक, 17 उच्च न्यायालयों ने, ई-उच्च न्यायालय रिपोर्ट (ई-एचसीआर)/ ई-इंडियन लॉ रिपोर्टस (ई-आई एलआर) को अपनी वेबसाइटों पर डालना शुरू कर दिया है। ई-एचसीआर/ई-आईएलआर डिजिटल विधिक मंच हैं जो जन भाषाओं में निर्णयों तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान करते हैं। आज की तारीख तक, 36324 उच्चतम न्यायालय निर्णयों का हिन्दी भाषा में अनुवाद किया गया है और उच्चतम न्यायालय के 42765 निर्णयों का

अन्य 17 प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ये ई-एससीआर पोर्टल पर (https://judgements.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php) पर उपलब्ध हैं।

ई-समिति द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के ब्यौरे, न्यायालय कर्मचारिवृन्द, अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों आदि जैसे विभिन्न पणधारियों को कवर करने वाला एससीआई, लोक अधिकार क्षेत्र में एससीआई वेब पोर्टल लिंक https:// ecommitteesci.gov.in /document-category/training-and-awareness-programmes/. पर उपलब्ध है।

विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक उपसमिति, जिसकी सहायता अधिकार-क्षेत्र विशेषज्ञों से मिलकर बने सदस्यों के तकनीकी कार्यप्रणाली समूह द्वारा की जाती है, डाटा संरक्षण के लिए सुरक्षित संयोजकता और अधिप्रमाणन तंत्रों के लिए, निजता के अधिकार को परिरक्षित रखने के लिए सुझाव देने/ सिफारिश करने हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित की गई है। उपसमिति, डाटा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए और नागरिकों की निजता की संरक्षा करने के लिए, समाधान निकालने हेतु ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सृजित डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा परिदान समाधान का महत्वपूर्ण रूप से मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए अधिष्ट है।

प्रत्येक मामले की दैनिक कार्यवाहियां मामला सूचना प्रणाली (सीआईएस) में प्रविष्ट की जाती हैं और वादी को वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन जैसे ई-न्यायालय सेवा मंचों से इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय कार्यवाहियों की लाइव-स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए मॉडल नियम विद्यमान हैं। ये निम्नलिखित पोर्टल पर उपलब्ध हैं :https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s388ef51f0bf911e452e8dbbld807a81ab/uploads/2021/06/2022091599.pdf.

****